न्यायालय माननीय श्रीमन राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)

नि0-3134-PBR-16

सत्यनाराण पिता रमेशचंद्र कामदार उम्र 35 वर्ष

धंधा खेती निवासी ग्राम बिजुर व सादलपुर तह0 व जिला धार

...................निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन ....विपक्षी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूरासं 1959 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से अत्यंत विनम्रता से अर्ज है कि ग्राम सादलपुर तहसील व जिला धार की भूमि सर्वे नंबर 221/2क रकबा 1.000 हैक्टर होकर जिस संबंध में विधिक रूप से आज्ञा पूर्व स्वामी की हुई है। यों भी विधि में उक्त आज्ञा की अपील व निगरानी व चेलेंज 180 दिन के अंदर नही है। ऐसी दशा में आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर में ने कोई आज्ञा मेरी पीठ पीछे कोई आज्ञा पुनर्वलोकन बाबद दी है तो वह व्यर्थ है। ऐसी दशा में राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/2010–11/अ–6अ में जो आज्ञा मेरे पूर्वाधिकारी के हक में थी वह अंतिमता लिये हुए है। बिना आधार बिना सुने अनुविभागीय अधिकारी महोदय धार ने उक्त राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/2010–11/अ–6 में पुनर्विचार बाबद आज्ञा दी है जो व्यर्थ है व जिस पर से नोटिस व आधार व्यर्थ है। शून्य है विचाराधिकार रहित आज्ञा है। उस पर से नोटिस भी विचाराधिकार रहित है बिना सूचना के बिना हितधारी को बुलाये व उस पर से नोटिस तहसील का कार्यवाही का प्रारंभ व प्रतिवेदन व मंजुरी और राजस्व प्रकरण क्रमांक 25/2010–11/अ–6अ में जो सूचना दिनांक 08.07.2016 व 15.07.2016 व अग्रिम कार्यवाही विचाराधिकार रहित है व्यर्थ है शून्य है। उसे निगरानी में लेकर अपास्ति बाबद यह निगरानी अर्ज निम्न आधारो पर सादर सदभावनापूर्वक कानून सम्मत पेश है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3134–पीबीआर/2016 जिला धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/9/17	उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार के आदेश दिनांक 8–7–2016 एवं दिनांक 15–7–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । दिनांक 8–7–2016 को तहसीलदार द्वारा आवेदक को सूचना पत्र जारी कर दिनांक 15–7–2016 तक जबाव मांगा गया है एवं दिनांक 15–7–2016 को तहसीलदार के अन्यत्र व्यस्त रहने के कारण पेशी बढ़ाई गई है । यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 56 के अन्तर्गत प्रावधानित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	